न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 61/2024
जीसीएमएस संख्या–2024/87

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 बाबुलाल पुत्र गुदड़राम	1	राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर
2 रामकरण पुत्र गुदड़राम जातियान जाट निवासीगण खवासपुरा	2	शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खवासपुरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता दर्ज दिनांक 05/03/2024

1. श्री रामदयाल चौधरी प्रार्थी 1 से 2 की ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी संख्या 01

निर्णय दिनांकः– 09/10/2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खवासपुरा पटवार क्षेत्र खवासपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौकड़ीकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्राथीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 170 क्षेत्रफल 2.4917 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि तथा खसरा नंबर 170/1 क्षेत्रफल 0.3317 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि स्थित है सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोंक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण सावणु फसल की बुवाई करते आये है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ मुटाम कायम करवाकर दिवार / तारबंदी करवाना चाहते है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढी / मुण्डागढी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या एक के समक्ष दिनांक 01.02.2024 को निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या एक ने सक्षम न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देगे एवं मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगे एंव नियमानुसार कमीशनर को फीस अदा कर देगे। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम खवासपुरा पटवार क्षेत्र खवासपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौकडीकला तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 170 क्षेत्रफल 2.4917 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि तथा खसरा नबर 170/1 क्षेत्रफल 0.3317 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी / मुण्डागढी करवाने हेतु तहसीलदार पीपाड शहर को आदेशित फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित जिस पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम खवासपुरा के खसरा संख्या 170 व 170/1 का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश किया जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि राजस्व ग्राम खवासपुरा के खसरा संख्या 170 व 170/1 की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खवासपुरा के खसरा संख्या 170 व 170/1 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। बाद पैमाइश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 09/10/2025 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर